न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–163/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00081)

01. राधेश्याम पुत्र छीतरमल सोनी, जाति सोनी, निवासी पावटा, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

01. श्रीमती मंजू पुत्री स्व. श्री ओमप्रकाश सोनी पत्नी श्री ताराचन्द्र सोनी निवासी मोजपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर, राजस्थान।
02. श्रीमती विमला बेवा स्व. ओमप्रकाश सोनी निवासी पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर,राजस्थान।
03. श्रीमती नीनू देवी पत्नी स्व. मोहनलाल वर्तमान पुर्नविवाह पत्नी श्री मनीष सोनी निवासी खोरालाडापानी, तहसील मनोहरपुरा जिला जयपुर, राजस्थान।
04. कुमार मेघा,
05. मास्टर लक्ष्य,
06. कुमारी मुस्कान, वारिसान मोहनलाल नाबालिंग जरिये वली नीनू देवी निवासी ग्राम खोरालाडापानी, तहसील मनोहरपुर जिला जयपुर, राजस्थान।
07. तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
08. श्रीमती मीना देवी पुत्री स्व. ओमप्रकश पत्नी ब्रजेन्द्र कुमार निवासी नगर तिवाडियो को मौहल्ला तहसील नगर जिला भरतपुर राजस्थान।
09. हितेश पुत्र संतोष देवी पुत्री स्व. ओमप्रकाश सोनी,
10. उमाशंकर पुत्र श्री संतोष देवी पुत्री स्व. ओमप्रकश सोनी,
11. मनीषा देवी पुत्री संतोष देवी पुत्र स्व. ओमप्रकाश,
12. दिक्षा सोनी पुत्री श्रीमती दुर्गेश देवी पुत्री स्व. आमेरप्रकाश सोनी नाबालिंग जरिये
13. ऐश्वर्य पुत्र श्रीमती दुर्गेश जरिये वली जितेन्द्र सोनी पुत्र कमलचन्द जाति सोनी निवासी नगर तिवाड़ियों का मौहल्ला जिला भरतपुर राजस्थान।
14. जगदीश पुत्र श्री छीतरमल सोनी जाति सोनी निवासी पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री मनीष पारीक एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री मदनलाल कूडी एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

## निर्णय

दिनांकः 18.01.2022

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1923 लगायत 1926 व 1926/2368 कुल किता 5 कुल रकबा 2.55 हैक्टयर मिन अपीलान्ट एवं रेस्पाडेन्टान के संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है जिस बाबत एक वाद 182/95 राधेश्याम बनाम जगदीश व अन्य उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष इस्तकरारहक व दुरूस्ती रिकार्ड पेश हुआ जिसमें प्रतिवादीगण ने सिद्धान्तः अपीलान्ट का कुल भूमि में हिस्सा 1/3 निहित होने से बरूए राजीनामा डिक्री दिनांक 28.04.1997 को किया गया तथा डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 459 खोला गया तथा हिस्सा बट्टा किया जाकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट संख्या 10275/15 की अनुपालना में सीमांकन कर दिया गया है चुनाचे रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मिन अपीलान्ट को बतौर पक्षकार बनाये बिना एवं अधीनस्थ न्यायालय को मुगालता आमेज रख अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है जा काबिले निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील सरासर मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी जानकारी का स्त्रोत चाचा जगदीश पुत्र छीतरमल से होना अंकित किया है जबकि जगदीश का कोई शपथ पत्र संलग्न नही किया गया है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के समर्थन में शपथ पत्र श्रीमती नमीता अग्रवाल के नाम से रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब बातों पर गौर न कर सरासर मियाद बाहर अपील को मियाद में मानते हुए अपीलाधीन निर्णय जल्दीबाजी में पारित करने में सरासर भयंकर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित भूमियों के अलावा मौरूसी सम्पत्ति हवेली दुमंजिला बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 12 ने एक वाद अपर जिला एवं सौशन न्यायाधीश कोटपूतली में प्रस्तुत किया था जिसमें भी अपीलाधीन सम्पत्ति बाबत बरूए राजीनामा बंटवारा होना रेस्पोडेन्ट संख्या 14 ने स्वीकार किया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मिन अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 14 को बतौर पक्षकार न बनाकर मुगालता आमेज रख अपीलाधीन आदेश पारित करवाने में सरासर भयंकर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्टान के पूर्व हक हकूक अधिकारी तथा रेस्पाडेन्ट संख्या 12 ने अपने–अपने निहित 1/3, 1/3 हिस्से को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र हस्तान्तरण कर चुके है तथा अपीलान्ट का हिस्सा सक्षम न्यायालय से बाकायदा अलग छोड़ा जाकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुरूप सीमांकन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में भी रेस्पोडेन्टान की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील नाकाबिले पेशरफ्त थी जिसे स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने ने सरासर भयंकर कानूनी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली का पद रिक्त था जिसका चार्ज उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के पास था ऐसी अवस्था में भी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी ने रूटिन में तारीख तब्दील न कर अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग कर रेस्पोडेन्टान को लाभान्वित करने की गरज से अपीलाधीन आदेश पारित करने में सरासर भयंकर कानूनी भूल की है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2018 विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2018 को निरस्त फरमाया व अपीलान्ट को कब्जे से बेदखल न किया जाने से पाबन्दी फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कथन किया है कि वाके मौजा पावटा में आराजी खसरा नम्बर 1923 लगायत 1926 व 1926/2368 कुल किता 5 कुल रकबा 2.55 हैक्टयर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता ओमप्रकाश का हिस्सा 1/2 रहा है जिसकी मृत्यु होने पर खातेदार के सभी वारिसान बहिस्सा बराबर सहखातेदार, काश्तकार काबिज मालिक हुए किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता व उसके भ्राता मोहनलाल ने बसाज राजस्व कर्मचारियें से मिलकर विधि विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को व अन्य को बिना सूचना के नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 13.01.1992 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता ओमप्रकाश की जगह अपने नाम राजस्व अभियान में खुलवा लिया जबकि स्व. ओमप्रकाश के चार पुत्रीयॉ भी थी और वे भी हिस्सा बराबर उक्त आराजी की सहखातेदार काश्तकार मालिक थी इसलिये उपरोक्त नामान्तरकण अवैध, विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निरस्तनीय ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व मोहनलाल ने रेस्पोडेन्ट को यह कहते रहे कि उनका नाम राजस्व रिकार्ड में आ चुका है, सभी बहनों का नाम दर्ज हो चुका है, इस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विश्वास हो गया और उन्होने कभी भी राजस्व रिकार्ड की नकल निकवाकर नही देखी। जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी मॉ के पास आई थी तो चाचा जगदीश प्रसाद से मिलने के गई तो उनसे जमीन के बारे में पूंछा तो उन्होने बताया कि ओमप्रकाश के मरने के बाद नामान्तरकरण मोहनलाल व बिमला के नाम ही खुला था जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 10.03.2017 को पटवारी हल्का के पास जाकर नामान्तरकरण की नकल निकलवाई तो उक्त सभी अवैध कार्यवाही की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रथम बार दिनांक 10.03.2017 को जानकारी हुई इससे पहले उक्त नामान्तरकरण की रेस्पोडेन्ट सख्या 1 को कोई जानकारी नही थी तथा उक्त जानकारी के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विधिक कानूनी सलाह ली उसके पश्चात् बिना किसी विलम्ब के जानकारी की दिनांक से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों को का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार मृतक ओमप्रकाश सोनी की विरासत का नामान्तरकरण राजस्व अभियान में केवल खातेदार के पुत्र मोहनलाल व उसकी पत्नी बिमला के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया है जबकि उक्त खातेदार ओमप्रकाश के चार पुत्रीया भी है किन्तु उक्त नामान्तरकण संख्या 170 स्वीकार करने से पूर्व खातेदार के वारिसान की कोई जॉच पटवारी हल्का एवं नायब तहसीलदार द्वारा नही की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त नामान्तरकरण निरस्तनीय ही था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच करने एवं विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार कोटपूतली को रिमाण्ड ही किया गया है जहॉ प्रकरण में मृतक खातेदार के वारिसान की जांच होने अभी बकाया है ऐसे में अपीलान्ट तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष अपना पक्ष रखकर चाराजोही कर सकता है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2018 में कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती हैं

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2018 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।